न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
385 / 2022	14.09.2022	06.7.2023

उनवान

1. दुलीचन्द पुत्र हेतराम जाति जाट तह0 नीमराना जिला अलवर।

:—वादी।

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र हरलाल जाति अहीर
2. विजयवीर पुत्र हरलाल जाति अहीर
3. राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर
4. सत्यवीर पुत्र राजस्वरूप जाति अहीर सभी निवासीयान ग्राम फौलादपुर तह0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात
अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिती:— 1 श्री प्रवीण कुमार शर्मा एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 1459 / 0.04, 1460 / 0.08, वाके ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जो संवत 2042 से पूर्व ख.नं. 1410 मिन / 0--14 से कायम हुआ है। तथा प्रतिवादी सं. 01 लगा. 04 के नाम दर्ज ख.नं. हाल 1460 / 2066 / 0.19 हैक्टर वाके ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना मे स्थित है जो संवत 2042 से पूर्व के ख.नं. 1409 / 0—09 बिस्वा से कायम हुआ है।

2. हम वादीगण के हाल ख.नं. 1459, 1460 का कुल रकबा 1410 मिन / 0—14 बिस्वा के मुताबिक करीब 18 एयर दर्ज होना चाहिए था। लेकिन बंदोबरत विभाग द्वारा 06 एयर रकबा कम करते हुऐ कुल 12 एयर रकबा दर्ज कर दिया गया । इसी अनुसार प्रतिवादीगण के हाल ख.नं. 1460 / 2066 का कुल रकबा साबिक ख.नं. 1409 मिन / 0--09 बिस्वा के अनुसार करीब 12 एयर दज होना चाहिए था लेकिन बंदोबरत विभाग द्वारा 07 एयर रकबा बढाते हुऐ 19 एयर रकबा दर्ज कर दिया गया। जिसमे 06 एयर रकबा मिन वादी के ख0नं. 1459, 1460 का सामिल किया गया है। मिन वादी की खातेदारी ख.नं. 1459, 1460 के तरफ दक्षिण मे लगता हुआ प्रतिवादीगण के खातेदारी का ख.नं. 1460 / 2066 है मौके पर मिन वादी व प्रतिवादीगण साबिक रकबे के अनुसार काबिज काश्त है मौके पर रकबा पूरा है बीच मे पूरानी डोल बनी हुई है। वादी का उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर साबिक व हाल रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की दिनांक 22.08.2022 को प्रतिवादीगण से रिकॉर्ड दुरूस्ती कराने के लिए कहा तो उन्होनें कहा कि अगर हमारे ख. नं. मे आप का रकबा सामिल हुआ है तो दुरूस्ती करा लो हम राजीनामा पेश कर देगे इसलिए वादी का यह वाद दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

3. अन्त में वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैः—
(क) डिक्री दुरूस्ती इन्द्राजात इस अगर की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण के ख.नं. 1460 / 2066 / 0.19 वाके ग्राम फौलादपुर मे से 06 एयर रकबा कम किया जा कर 13 एयर दर्ज किया जावे तथा उक्त 06 एयर रकबा का मिन वादी को खातेदार घोषित

अधिकारी
(अलवर)

Sidd/2023

किया जाकर उक्त 06 एयर रकबे मे से 02 एयर मिन वादी के ख.नं. 1459 मे व 04 एयर रकबा मिन वादी के ख.नं. 1460 वाके ग्राम फौलादपुर मे शामिल किया जाकर उसका रकबा 0.08 के स्थान पर 0.12 है0 दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जावे। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती की जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित हुये उन्हे बार बार जवाब प्रस्तुत करने हेतु मौके दिये गये परन्तु जवाब पेश न करने की सूरत मे जवाब बंद कर दिया गया। तथा आज नियत पेशी पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वादी की साक्ष्य ली गई वादी ने साक्ष्य मे ओमवीर पुत्र रतन सिंह का शपथ पत्र पी0डब्लू0 01, दुलीचन्द पुत्र हेतराम का शपथ पत्र पी0डब्लू0 02, राजपाल पुत्र हरिसिंह का शपथ पत्र पी0डब्लू0 03 के पेश किये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 01, 02 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03, नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श 04,05, असल बैयनामा प्रदर्श 06, नकल खसरा परिशोधन भू प्रबधं विभाग संवत 2038 प्रदर्श 08, 09, 10, 11, 12, 13, पेश किये है।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए बताया कि आराजी विवादित वादी की खरीदशुदा कब्जे काश्त की आराजी है। भू प्रबंध विभाग द्वारा वादी का 06 एयर रकबा गलती से प्रतिवादी की आराजी मे सामिल कर दिया जिसकी दुरूस्ती किया जाना उचित है। वादी द्वारा साबिक व हाल रिकॉर्ड पेश किया गया है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

6. हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श 04 के अनुसार साबिक ख.नं. 1410/0–14 बिस्वा जगराम,बंशी पि0रामदेव की खातेदारी मे दर्ज है जिन्होंने उक्त आराजी दिनांक 11.07.1979 को लालचन्द पुत्र धंशी को बेचान कर दिया जिसका बैयनामा प्रदर्श 07 है। तथा लालचन्द पुत्र धंशी ने उक्त आराजी को दिनांक 27.06.1983 को वादी दुलीचन्द पुत्र हेतराम को विक्रय करदी जो बयनामा प्रदर्शा 06 है नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श 05 के अनुसार 1409/0–09 बिस्वा लीलाराम, महेन्द्र पिसरान हरला संभाग निष्फ रामस्वरूप पुत्र रामरतन निष्फ खातेदार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 03 के अनुसार साबिक ख.नम्बरान के हाल ख.नं0 निम्न प्रकार कायम हुये है:–

संवत 2042	
हाल	साबिक
1460/2066/0.19	1409/0–09
1459/0.04	1410मिन/0–14
1460/0.08	1410मिन/ –––––

इस प्रकार साबिक ख.नं. 1409/0–09 बिस्वा के हाल ख.नं. 1460/2066/0..19 एयर भू प्रबंध विभाग द्वारा कायम किया गया है। इस प्रकार मैट्रिक प्रणाली के अनुसार इस हाल नं0 का रकबा 0.12 हैक्टर दर्ज होना चाहिए था जबकि भू प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से रकबा 0.19 दर्ज किया गया है। इसी प्रकार साबिक ख.नं. 1410/0–14 बिस्वा से हाल ख.नं. 1459/0.04 और 1460/0.08 कायम किये गये हे जिनका रकबा मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 17.5 एयर दर्ज होना चाहिए था परन्तु भू प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से 12 एयर रकबा ही दर्ज किया गया है जो साबिक रिकॉर्ड के विरूद्ध है जिससे साबित है कि भु प्रबंध विभाग द्वारा हाल नंम्बरान कायम करते समय वादी का रकबा

...ड अधिकारी
...ाना (अलवर)

Sidd/2023

कम दर्ज किया गया था प्रतिवादीगण को रकबा बेशी दर्ज किया गया है। नकल नक्शा ट्रैस प्रदर्श 04 के अवलोकन से साबित है कि ख.नं. 1460, 1459 ख.नं. 1460/2066 से लगते हुए है जिससे साबित है कि प्रतिवादी के ख. नं0 मे वादी का रकबा शामिल किया गया है। उपरोक्तानुसार विवेचनानुसार वादीगण का वाद साबित होता है। वाद वादी काबिले डिक्री करारा पता है।

7. अतः आदेश है कि:–

वाद वादी दुरूस्ती इन्द्राजात बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. हाल 1460/2066/0.19 वाके ग्राम फौलादपुर मे से 06 एयर रकबा कम किया जा कर उसका रकबा 13 एयर दर्ज किया जावे तथा उक्त 06 एयर रकबा का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त 06 एयर रकबे मे से 02 एयर वादी के ख.नं. 1459 मे व 04 एयर रकबा वादी के ख.नं. 1460 वाके ग्राम फौलादपुर मे सामिल किये जाने के आदेश दिये जाते है । इसी प्रकार वाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे मे अंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो, पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

06/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

नोट:- आदेश की लाईन नं. 7 में राजस्व रिकार्ड में के आगे "समस्त राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी व ख0 नि0 नक्शा ट्रेस" शब्द पढ़ा जावे

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलबर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
585 / 2022	14.09.2022	06.7.2023

उनवान

1. दुलीचन्द पुत्र हेतराम जाति जाट तह0 नीमराना जिला अलवर।

:—वादी।

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र हरलाल जाति अहीर
2. विजयवीर पुत्र हरलाल जाति अहीर
3. राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर
4. सत्यवीर पुत्र राजस्वरूप जाति अहीर सभी निवासीयान ग्राम फौलादपुर तह0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात
अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिती:— 1 श्री प्रवीण कुमार शर्मा एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक:— 06.7.2023

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादी दुरूस्ती इन्द्राजात बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिकी किया जाकर आराजी ख.नं. हाल 1460 / 2066 / 0.19 वाके ग्राम फौलादपुर मे से 06 एयर रकबा कम किया जा कर उसका रकबा 13 एयर दर्ज किया जावे तथा उक्त 06 एयर रकबा का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त 06 एयर रकबे मे से 02 एयर वादी के ख.नं. 1459 मे व 04 एयर रकबा वादी के ख.नं. 1460 वाके ग्राम फौलादपुर मे सामिल किये जाने के आदेश दिये जाते है । इसी प्रकार वाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे मे अंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

06/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

नोट:- डिक्री की लाईन नं. 6 में राजस्व रिकार्ड शब्द के आगे "समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, ख0 गि0 नक्शा ट्रेस" पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)